पत्रांक–13 / स्था0–05–10 / 2026..... /

**बिहार सरकार**

**शिक्षा विभाग**

प्रेषक,

**विजय कुमार,** (भा0प्र0से0)
निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव।

**सेवा में,**

**श्री दूधनाथ सिंह,**
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,
बिहार राज्य अनौपचारिक कर्मचारी संघ,
पटना, बिहार।

**निबंधित**

पटना, दिनांक–..... /

**विषय :– माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या–544 / 2020 में दिनांक–07.02.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में अनौपचारिक शिक्षा के मानदेय पर्यवेक्षकों की पिछली मानदेय आधारित सेवा को जोड़ते हुए पेंशनरी लाभ प्रदान करने संबंधी दावा / अनुरोध को अस्वीकृत करने के संबध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके दिनांक 26.05.2026 को समर्पित अभ्यावेदन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या–544 / 2020 में पारित न्यायादेश के आलोक में अनौपचारिक शिक्षा के मानदेय पर्यवेक्षकों की पिछली मानदेय आधारित सेवा एवं छंटनी अवधि को जोड़ते हुए पेंशनरी लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। आपके द्वारा समर्पित आवेदन में वर्णित मामले की समीक्षा पूर्व में भी कई बार करते हुए आपका दावा अस्वीकृत कर आपको विधिवत् संसूचित भी किया जा चुका है।

पुनः स्पष्ट करना है कि उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Civil Appeal No- 544 / 2020 में दिनांक 07.02.2020 को बिहार सरकार के पक्ष में अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका है। माननीय न्यायालय द्वारा Civil Appeal No- 544 / 2020 एवं MJC No- 662 / 2018 में पारित आदेश में स्पष्ट किया है कि अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के बंद होने से लेकर नई नियुक्ति के बीच की अवधि तथा कार्यक्रम के अधीन पूर्व की मानदेय आधारित सेवा की गणना किसी भी वित्तीय लाभ या सेवा निरंतरता के लिए करना वैधानिक रूप से अमान्य है।

ज्ञातव्य हो कि बिहार सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णय के आलोक में अनौपचारिक शिक्षा के मानदेय पर्यवेक्षकों का समायोजन संकल्प संख्या 27 दिनांक 12.01.2010 में प्रावधानित शर्त्तो के आालोक में नई नियुक्ति के माध्यम से किया गया है। जिसमें इन्हें पद के न्यूनतम प्रक्रम का वेतनमान भुगतान किये जाने का स्पष्ट अंकन है। इससे पहले आप कभी भी राज्य की नियमित सेवा में वेतनमान पर नियुक्त नहीं किये गये थे तथा वर्ष 2010 में नई नियुक्ति के माध्यम से नियुक्त कर्मी पर नई पेंशन योजना लागू होती है। अतएव सिविल अपील

544/2020 में पारित आदेश के आलोक में नियमित सेवा से पूर्व की मानदेय आधारित सेवा अवधि के आधार पर किसी भी अन्य वित्तीय दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उक्त आशय की सूचना आपको विभागीय ज्ञापांक–985 दिनांक 24.06.2020 के द्वारा दी जा चूकी है।

अतएव उपरोक्त वर्णित स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No-544/2020 एवं MJC No- 662/2018 में पारित आदेश के आलोक में नियमित सेवा से पूर्व की मानदेय आधारित सेवा एवं सेवा से बाहर रहने की अवधि को जोड़ते हुए पेंशनरी लाभ प्रदान करने संबंधी आपका दावा/अनुरोध एतद् द्वारा पुनः अस्वीकृत किया जाता है।

**अनुलग्नकः यथोक्त।**

विश्वासभाजन,

ह०/–

**(विजय कुमार)**
निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक–13/स्था0–05–10/2026...535.../ पटना, दिनांक ...11.06.2026

**प्रतिलिपिः**–अवर सचिव, माननीय मंत्री कोषांग, शिक्षा विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव।